कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- /वाणिज्य कर/दिनांक::फरवरी:: ::2010
पत्रांक-न्याय-व0प्र0अ0पटल-महत्वपूर्ण निर्णय/2009-2010/ 0910093/2211 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वाद अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 18 ::फरवरी-2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ द्वारा दिये गये कतिपय निर्णयों का विवरण उपलब्ध कराया गया है, जिनसे सम्बन्धित संक्षित तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

1- **टी0टी0आर0 नं0 1970/98 कमिश्नर, व्यापार कर, उ0प्र0 लखनऊ बनाम रैमको कोक इण्डस्ट्रीज, रामनगर, वाराणसी। (निर्णय दिनांक 27-10-09)**

आलोच्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोयले से हार्ड कोक के निर्माण को व्यापार कर अधिनियम की धारा 2 ई के अन्तर्गत "निर्माण" मानते हुए करनिर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर को उचित बताया गया है। आलोच्य मामले में सदस्य, व्यापार कर अधिकरण द्वारा कोयले से हार्ड कोक बनाने की प्रक्रिया को व्यापार कर अधिनियम की धारा-2 ई के अन्तर्गत निर्माण न मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर समाप्त कर दिया गया था, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय रिवीजन को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी है।

2- **टी0टी0आर0 नं0 887/01 कमिश्नर, व्यापार कर, उ0प्र0 लखनऊ बनाम मेसर्स एसोसिएटेड डिस्ट्रीव्यूटर्स लि0, गाजियबाद। (निर्णय दिनांक 27-10-09)**

आलोच्य वाद में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पेनजान दर्द निवारण औषधि पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया हैं एवं व्यापारी के इस तर्क को कि पेनजान "बल्क ड्रग" है एवं इस पर 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होना चाहिए, को अस्वीकार किया गया है। माननीय सदस्य, व्यापार कर अधिकरण द्वारा व्यापारी के कथन को स्वीकार करते हुए कर देयता निर्धारित की गयी थी। विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पेनजान को "बल्क ड्रग" न मानकर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किये जाने का निर्णय दिया है।

3- **टी0टी0आर0 नं0 26/2001 सर्वश्री पी0आर0 फ्यूल्स प्रा0लि0, वाराणसी बनाम कमिश्नर, व्यापार कर, उ0प्र0 लखनऊ। (निर्णय दिनांक 27-10-09)**

व्यापारी द्वारा हार्ड कोक बनाने की नई ईकाई लगायी गयी है जिस समय नई इकाई लगायी गयी, उस समय हार्ड कोक के निर्माण के सम्बन्ध में धारा-4 के अन्तर्गत छूट अनुमन्य रही है, लेकिन बाद में शासन द्वारा विज्ञप्ति जारी करके हार्ड कोक के निर्माण को धारा-4 के अन्तर्गत देय छूट से अलग कर दिया गया है। व्यापारी द्वारा सदस्य व्यापार कर अधिकरण के निर्णय जिसमें छूट न अनुमन्य करने का निर्णय दिया गया है, के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया। इसमें मुख्य Promissory estoppel का सिद्धान्त रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि शासन को यह अधिकार है कि वह कभी भी विज्ञप्ति जारी करके, किसी भी वस्तु को छूट की श्रेणी से निकाल सकता है।

4- **रिट पिटीशन संख्या-324/2005 सर्वश्री गैंगेज क्लब लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार से सम्बद्ध रिट पिटिशन सं0 493/2003 सर्वश्री साक्षी होटल प्रा0लि0 बनाम एडी0कमि0 ग्रेड-1, वा0क0 कानपुर जोन, कानपुर व अन्य तथा रिट पिटिशन संख्या-494/2003 सर्वश्री द गैंगेज क्लब लि0 बनाम एडी0कमि0 ग्रेड-1, वा0क0 कानपुर जोन, कानपुर व अन्य। (निर्णय दिनांक 24-11-09)**

इस वाद में व्यापारी द्वारा आयुक्त व्यापार कर के परिपत्र दिनांक 17-2-2004 को चुनौती दी गयी थी। इस परिपत्र में यह कहा गया था कि क्लब के सदस्यों को खाद्य वस्तुओं की खरीद बिक्री 46 वे संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में करयोग्य है। व्यापारी द्वारा यह कहा गया था कि इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत उनकी कम्पनी कारपोरेट क्लब है इसलिए उन पर कोई करदेयता नही बनती है। मा0 न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए यह माना कि आयुक्त व्यापार कर के प्रश्नगत परिपत्र में कोई अविधिक बात नही लिखी गयी है तथा व्यापारी की रिट याचिका को निरस्त कर दिया गया।

5- **रिट याचिका संख्या-1508/2005 सर्वश्री गौरव ट्रेडिंग कम्पनी बनाम डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-2 वाणिज्य कर व अन्य। (निर्णय दिनांक 10-11-09)**

व्यापारी के वर्ष 2000-01, 2001-02 व 2002-03 के कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किये गये थें। धारा-30 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये गये थे। अपील से भी व्यापारी को कोई राहत नही मिली तथा उनके द्वारा द्वितीय अपील संख्या-262/04,263/04 व 264/04 दायर की गयी। माननीय सदस्य अधिकरण द्वारा दिनांक 06-01-2005 को निर्णीत करते हुये तीनों वर्षो के कर निर्धारण आदेशों को रद्द करते हुये वाद को पुनः सुनवाई हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित किया गया था। व्यापारी ने कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 11-01-2005 को ट्रिव्यूनल के आदेश की प्रति प्रस्तुत की तथा रिकवरी को वापस लिये जाने का अनुरोध किया था, जिसके अनुपालन में अधिकारी द्वारा रिकवरी वापस की गयी। तत्पश्चात् करनिर्धारण अधिकारी द्वारा करनिर्धारण हेतु व्यापारी को नोटिस दिनांक 25-6-2005 को उपस्थित होने के लिए दी गयी थी, परन्तु व्यापारी द्वारा इस आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा कि वे अपना वाद किसी अन्य अधिकारी को ट्रांसफर कराना चाहते हैं। इसके पश्चात् अनेक तिथियॉं निश्चित हुई, परन्तु व्यापारी द्वारा वाद का निस्तारण नही कराया गया। अन्त में कमिश्नर व्यापार कर के स्तर से व्यापारी का वाद ट्रांसफर प्रार्थना पत्र अस्वीकार हो गया। इसके बावजूद भी व्यापारी नियत तिथि पर उपस्थित नही हुए और वाद का निस्तारण एक पक्षीय किया गया, जिसके विरुद्ध रिट याचिका दायर की गयी थी। मा0 न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए यद्यपि यह माना है कि तीनों वाद कालवाधित हो गये थे, किन्तु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का सन्दर्भ देते हुए यह कहा गया कि इस मामले में वादी की गलती अधिक थी इसलिए इस वाद को निरस्त नही किया जा रहा है और न्यायालय द्वारा रिट याचिका को निरस्त करते हुए रु05,000=00 की कास्ट वादी पर लगायी गयी।

6- **रिट पिटीशन संख्या-1721/2002 सर्वश्री समतल कलर लिमिटेड बनाम असि0कमि0(क0नि0) व अन्य, रिट पिटीशन संख्या-378/2003 सर्वश्री समतल इण्डिया लि0 बनाम एडी0कमि0 व अन्य, 3042/2002 सर्वश्री बी0पी0एल0 डिस्प्ले डिवाइसेस लि0 बनाम डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) व अन्य, 616/04 व 867/05 सर्वश्री बी0पी0एल0 डिस्प्ले डिवाइस लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य व 2786/02 सर्वश्री एलिन इलेक्ट्रानिक्स लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा 1324/05 सर्वश्री फिल्म इलेक्ट्रिानिक्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 सरकर व अन्य। (निर्णय दिनांक 16-12-09)**

इन सभी रिट पिटीशन्स में यह बिन्दु विवादित था कि आयुक्त व्यापार कर ने अपने परिपत्र दिनांक 18-03-02 द्वारा यह स्पष्ट किया था कि केन्दीयं बिक्री कर अधिनियम-8 (2A) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर यदि कर की दर दो प्रतिशत है तो अधिभार सहित प्रान्तीय कर की दर ढाई प्रतिशत होगी और यही कर की दर केन्द्रीय बिक्री के सम्बन्ध में होगी। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह पाया कि आयुक्त, व्यापार कर द्वारा जारी किया गया परिपत्र विधिक रुप से सही है तथा उक्त रिट पिटीशन को खारिज करते हुए प्रत्येक के सम्बन्ध में रु0 5000/- कास्ट एवार्ड की गयी है।

7- **टी0टी0आर0 संख्या-471/2006 सर्वश्री सरस्वती पेपर उद्योग, नोएडा बनाम कमिश्नर व्यापार कर, उ0प्र0 लखनऊ।**

व्यापारी द्वारा कोरोगेटेड एवं क्राफ्ट पेपर की खरीद बिक्री की जाती है। व्यापारी द्वारा घोषित बिक्री को एस0आई0बी0 के सर्वेक्षण के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य व्यापार कर अधिकरण द्वारा अपने आदेश में रु020 लाख करापवंचित बिक्री निर्धारित करते हुए कर आरोपण का समर्थन किया गया। व्यापारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिवीजन इस आधार पर

दाखिल किया गया कि उनके द्वारा कोई आयातित खरीद फार्म-31 से नही की गयी है। समस्त प्रान्तीय खरीद बिक्री की जाती है, अतः उन पर करदेयता नही निर्धारित की जा सकती है, क्योकि आयातकर्ता/निर्माता के बिन्दु पर करदेयता बनती है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह व्यापारी का दायित्व है कि यह बताये कि उसकी खरीद पंजीकृत से टैक्स पेड है जिसके अभाव में व्यापारी पर अपवंचित बिक्री पर करनिर्धारण विधिक है।

8- उपर्युक्त के अतिरिक्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन द्वितीय, कानपुर ने अपने पत्र संख्या-2176 दिनांक 98-1-2010 द्वारा **मा0 सदस्य न्यायाधिकरण वाणिज्य कर पीठ-2, कानपुर के निर्णय दिनांक 29-12-09 सर्वश्री इमामी लि0 टी0पी0 नगर, कानपुर बनाम कमिश्नर व्यापार कर, उ0प्र0 से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराया गया है।** इस मामले में व्यापारी द्वारा अपने सभी उत्पाद जैसे- हिमानी बोराप्लस, हिमानी गोल्ड टरमेरिक एन्टीसेप्टिक क्रीम, हिमानी बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, इमामी नेचुरली फेयर क्रीम, इमामी नेचुरली फेयर लोशन आदि को औषधि मानकर करदायित्व स्वीकार किया गया था, जबकि करनिर्धारण में इन वस्तुओं को कास्मेटिक गुड्स की तरह माना गया। न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय में व्यापारी के कई वर्षो के मामलों में विस्तृत विवेचन करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पाया गया कि केवल हिमानी नवरत्न तेल के अतिरिक्त अन्य उपरोक्त सभी वस्तुये कास्मेटिक की तरह कर देय हैं।

उपरोक्त निर्णयों के तथ्यों से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए मा0 न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

25/7/10

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2-एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
3-ज्वाइन्ट कमिश्नर(सर्वो0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
4-ज्वाइन्ट कमिश्नर(मैनुअल अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ।
6- समस्त डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

ज्वा0कमि0(वाद) वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c